



प्रेसनोट, दिनांक 04.04.2026
थाना बिहार, जनपद उन्नाव

हत्या का प्रयास का आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 03.04.2026 को विवेक सिंह पुत्र नारेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मुनऊखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव द्वारा थाना बिहार पर तहरीर दी कि मेरे उपर पंकज पुत्र स्व० संतोष निवासी ग्राम जपसरा थाना बिहार जनपद उन्नाव उम्र 23 वर्ष द्वारा अपने साथी अर्पित पुत्र स्व० शिव बहादुर सिंह निवासी ग्राम मुनऊखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव के साथ मिलकर गाली गलौज देना व जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 103/25 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस बमाम पंकज व अर्पित उपरोक्त पंजीकृत कर आज दिनांक 04.04.2026 को उ०नि० देवेन्द्र कुमार अवस्थी मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्त पंकज पुत्र स्व० संतोष निवासी ग्राम जपसरा थाना बिहार जनपद उन्नाव उम्र 23 वर्ष को पितुआखेड़ा बैरियर के पास से गिरफ्तार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पंकज पुत्र स्व० संतोष निवासी ग्राम जपसरा थाना बिहार जनपद उन्नाव उम्र 23 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० देवेन्द्र कुमार अवस्थी
2. का० विपिन कुमार





प्रेसनोट, दिनांक 04.04.2026

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव

दो शातिर चोर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा दो शातिर चोरो को मय चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 03.04.2026 को थाना कोतवाली पर वादी हरीशचन्द्र पुत्र स्व० मंगलू नि० ग्राम बख्खाखेड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा मकान का ताला तोड़ कर घर से ज्वैलरी, थाल, लोटा, वर्तन चोरी कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर मु०अ०सं० 191/2026 धारा 305(A) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 04.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा हुसैन नगर नहरिया पीपल के पेड़ के पास से 02 अभियुक्तगण 1. लकी उर्फ इन्जिमाम हुसैन उर्फ कनपुरिया पुत्र अनवर हुसैन उम्र करीब 23 वर्ष निवासी 147/14 काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव 2. राजू पासी पुत्र नत्था उम्र 42 वर्ष निवासी टिकवा मऊ थाना हसनगंज जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से एक लेडिज अंगूठी पीली धातु व एक तोड़िया तथा चार जोड़ी पैर का मीना सफेद धातु, एक जोड़ी झाला पीले धातु एक अदद पायल सफेद धातु, दो थारा पीतला दो लोटा फूल धातु का एक चमचा चार थाली पीतल बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तारतर अभियुक्तगण को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. लकी उर्फ इन्जिमाम हुसैन उर्फ कनपुरिया पुत्र अनवर हुसैन उम्र करीब 23 वर्ष निवासी 147/14 काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
2. राजू पासी पुत्र नत्था उम्र 42 वर्ष निवासी टिकवा मऊ थाना हसनगंज जनपद उन्नाव

बरामदगी-

1. एक लेडिज अंगूठी पीली धातु व एक तोड़िया तथा चार जोड़ी पैर का मीना सफेद धातु
2. एक जोड़ी झाला पीले धातु एक अदद पायल सफेद धातु
3. दो थारा पीतला दो लोटा फूल धातु का एक चमचा चार थाली पीतल धातु

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त लकी-

1. मु0अ0सं0 119/19 धारा 379/411 भादवि थाना बीघापुर
2. मु0अ0सं0 770/17 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना गंगाघाट
3. मु0अ0सं0 603/23 धारा थाना गंगाघाट
4. मु0अ0सं0 703/22 धारा 8/20 NDPS थाना कोतवाली
5. मु0अ0सं0 300/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली
6. मु0अ0सं0 548/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली
7. मु0अ0सं0 53/24 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली
8. मु0अ0सं0 270/24 धारा 2/3(1) गैंग0 एक्ट थाना कोतवाली
9. मु0अ0सं0 73/21 धारा 294 भादवि थाना माखी
10. मु0अ0सं0 198/22 धारा 379/411 भादवि थाना माखी
11. मु0अ0सं0 191/26 धारा 305(a)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना कोतवाली

अभियुक्त राजू पासी-

1. मु0अ0सं0 149/13 धारा 392/411/495/412/ भादवि थाना हसनगंज
2. मु0अ0सं0 591/13 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना हसनगंज
3. मु0अ0सं0 1057/14 धारा 307 भादवि थाना हसनगंज
4. मु0अ0सं0 10/16 धारा 411/419/467/468/471/420//41 भादवि थाना हसनगंज
5. मु0अ0सं0 38/16 धारा 411/467/468/471/420//41 भादवि थाना अजगैँन

- 6.मु0अ0सं0 30/16 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट भादवि थाना हसनगंज
- 7.मु0अ0सं0 116/16 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट थाना हसनगंज
- 8.मु0अ0सं0 77/18 धारा 394/412 भादवि थाना सोहरामऊ
- 9.मु0अ0सं0 313/23 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना हसनगंज
- 10.मु0अ0सं0 191/26 धारा 305(a)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना कोतवाली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

प्र0नि0 चन्द्र कान्त मिश्र
उ0नि0 रवि शंकर मिश्रा
कांस्टेबल महेश सिंह
कांस्टेबल विकास गंगवार
कांस्टेबल रामकेश





प्रेसनोट, दिनांक 04.04.2026
थाना बिहार, जनपद उन्नाव

- पुलिस मुठभेड़ में बच्चे का अपहरण करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, अपहरण की घटना का उन्नाव पुलिस ने 08 घण्टे के अंदर किया खुलासा।
- एसओजी, सर्विलांस एवं थाना बिहार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गयी कार्रवाई।

आज दिनांक 04.04.2026 को समय करीब 14.31 बजे थाना बिहार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना पुरवा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बेवल के रहने वाला 11 वर्षीय बच्चा स्कूल से वापस घर आने के लिये निकला था किंतु घर नहीं पहुंचा है। जिसके पिता की तहरीर पर थाना बिहार पर मु0अ0सं0 104/26 धारा 140(1)/115(2)/351(2) बीएनएस व 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कर बच्चे की सकुशल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.04.2026 को समय करीब 20.00 बजे थाना बिहार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुरवा-असोहा मार्ग पर पड़वाखेड़ा पॉवर हाउस के पास चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के बांये पैर में गोली लग गयी व मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गये बदमाश ने अपना नाम 1.शिवकुमार पुत्र चन्द्रपाल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम बेवल थाना बिहार जनपद उन्नाव बताया है। जिसके द्वारा बच्चे का अपहरण करने की बात स्वीकार की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से अपहृत बच्चा, एक तमंचा 315 बोर एक जिंदा व एक खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकल बरामद किया गया है। घायल अभियुक्त शिवकुमार उपरोक्त को इलाज हेतु सीएचसी पुरवा भेजा गया है, अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

